



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार 18 अप्रैल, 2012/29 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 मार्च, 2012

संख्या: आयु0-क-(3)-15/99.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में प्रयोगशाला परिचारक, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—“क” के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग प्रयोगशाला परिचारक, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या आयु0-क (3)- 24/84 तारीख 21.12.1988 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग, प्रयोगशाला परिचारक, वर्ग-3 (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1988 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (2) (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव (आयुर्वेद)।

उपाबन्ध—“क”

आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश में प्रयोगशाला परिचारक, वर्ग-III (अराजपत्रित) वर्ग-III के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पदनाम.—**प्रयोगशाला परिचारक।
2. **पदों की संख्या.—**18 (अठारह)।
3. **वर्गीकरण.—**वर्ग-III (अराजपत्रित)।
4. **वेतनमान.—**नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान—
पे बैंड ₹ 5910-20200/— जमा ₹ 1900/— ग्रेड पे।
संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :—
₹ 7810/— संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।
5. **चयन पद अथवा अचयन.—**अचयन।
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.—**18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त

निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उप पब्लिक सेक्टर नियमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं—
अनिवार्य अर्हताएं : (क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो विज्ञान सहित।

(ख) वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएं : हां, जैसाकि स्तम्भ संख्या 11 में विहित किया गया है।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा.—स्तम्भ संख्या 7 में यथाविहित की गई अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखने वाले विभाग के वर्ग—IV कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए समस्त पात्र कर्मचारियों की उनके अपने-अपने ग्रेड में उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी :

परन्तु प्रोन्नति प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—I.—उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण—II.—उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के कठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड भलोना और संगना पटवार वृत्त, और शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़ कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड, और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुनी, कालीपार, मानगढ़, थाच बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनके कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सिज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्वीसीज) रूलज 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स-सर्वीसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्वीसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपयुक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15 (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अन्वये की जाएगी :—

I. संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में प्रयोगशाला परिचारक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीनकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण किया जाएगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—निदेशक आयुर्वेद, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापिका को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

II. संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा आधार पर नियुक्त प्रयोगशाला परिचारक को ₹ 7810/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्तवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 240/- (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

III. नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—निदेशक, आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

IV. चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्त की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

V. संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-2 पर गठित की जाए।

VI. करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

VII. निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7810/— की नियम संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 240/— (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक माह की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत (एल0 टी0 सी0) इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) समापन हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्युटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- (ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों को किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- (ज) नियमित कर्मचारी की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ. आर. एस. आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर

नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—“ख”

प्रयोगशाला परिचारक (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक आयुर्वेद के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति. पुत्र/पुत्री श्री
निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक आयुर्वेद, (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त “प्रथम पक्षकार” को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रयोगशाला परिचारक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निम्बन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रयोगशाला परिचारक के रूप में से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित समाप्त समझी जाएगी व सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीनकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—प्रत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 7810/— प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त प्रयोगशाला परिचारक एक माह की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त प्रयोगशाला परिचारक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त प्रयोगशाला परिचारक कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो, वह उसी दर पर जैसी की नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लेखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-Ka(3)-15/99 dated 22nd March, 2012 as required under clause (3) of Article 309 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd March, 2012

No. Ayu-Ka(3)-15/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 to the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with HP Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Laboratory Attendant, Class-III (Non Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure-‘A’ attached to this notification, namely:-

1. Short title & Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Department of Ayurveda Laboratory Attendant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2012.

(2) These shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Repeal & Savings.— (1) The Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine & Homeopathy, Laboratory Attendant Class-III (Non Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1988 notified vide this Department's Notification No. Health-A (3)-24/84 dated 21-12-1988 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary (Ayurveda).

Annexure-A

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Laboratory Attendant (Non- Gazetted) Class-III, in the Department of Ayurveda , Himachal Pradesh

- 1. Name of Post.**—Laboratory Attendant.
- 2. Number of Post(s) .**—18 (Eighteen).
- 3. Classification.**—Class-III (Non Gazetted).
- 4. Scale of Pay.**—i) Pay Scale for regular incumbents:
Pay Band ₹ 5910-20200 + ₹ 1900/-Grade Pay.
ii) **Emoluments for contract employees:-**
₹ 7810/-as per details given in column 15-A.
- 5. Whether “Selection” post or “Non-Selection” post.**—Non -Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—

(a) Essential Qualification(s): 10+2 with Science from a recognized Board of School Education/University.

(b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable. **Educational Qualification:** Yes as prescribed under Column No. 11 below.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the class-IV employees of the Department subject to possessing of essential educational qualification as prescribed for direct recruitment against Column No.7 above with at last 5 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of all the eligible officials will be prepared on the basis of length of service in the grade without disturbing their category wise inter-seniority.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas.

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less services, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation- I:- For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal/Difficult areas” shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II:- For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas be as Under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circle of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil , in Sirmaur District .
9. Khanyol–Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of

service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in-accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

I) Concept.—(a) Under this policy the Laboratory Attendant, in the Department of Ayurveda, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extended on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

b) Posts falls within the purview of H.P.S.S.S.B.—The Director of Ayurveda, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur .

c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

II) Contractual Emoluments.—The Laboratory Attendant, appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 7810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 240/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

III) Appointment/Disciplinary Authority.—The Director, of Ayurveda H.P. will be appointing and disciplinary authority.

IV) Selection Process.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test, or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruitment agency i.e H.P Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

V) Committee for selection of Contractual Appointments.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

VI) Agreement.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules.

VII) Terms and Conditions.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 7810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ of ₹ 240/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

- b)** The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- c)** Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave to will be given as per rules.
- d)** Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

- e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
- g) Contract appointee will be entitled to TA /DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
- h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the services shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-'B'

Form of contract/agreement to be executed between the Laboratory Attendant and the Government of Himachal Pradesh through the Director Ayurveda

This agreement is made on this -----day of ----- in the year----- between Shri/Smt. -----R/O----- contract appointee (hereinafter called the First Party) AND the Governor, Himachal Pradesh through Director Ayurveda, Himachal Pradesh (herein after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Laboratory Attendant on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Laboratory Attendant for a period of one year commencing on -----day of -----and ending on the -----day of -----. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY shall post- ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 7810/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Laboratory Attendant will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Laboratory Attendant. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Laboratory Attendant will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from the Government /registered Medical Practitioner. In case of Women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re- examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duty at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY HAVE HEREIN TO SET THEIR HANDS THE DAY, MONTH AND YEAR FIRST, ABOVE WRITTEN.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

01. -----

(Name and full address)

(Signature of first party).

02. -----

(Name and full address)

(Signature of first party).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. -----

(Name and full address)

(Signature of Second party)

2. -----

(Name and full Address)

(Signature of Second party).

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अप्रैल, 2012

संख्या आयु0-क-(3)-29/99.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में फिजियोथैरेपिस्ट, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—“क” के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, फिजियोथैरेपिस्ट, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या आयु0-सी-क (3)- 2/97 तारीख 21-7-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग फिजियोथैरेपिस्ट (वर्ग—III, अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव (आयुर्वेद)।

**आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश में फिजियोथैरेपिस्ट (अराजपत्रित) वर्ग—III के पद के लिए
भर्ती और प्रोन्नति नियम**

1. पदनाम.—फिजियोथैरेपिस्ट
2. पदों की संख्या.—01 (एक)
3. वर्गीकरण.—वर्ग —III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.—नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान—पे बैंड—10300—34800 रुपये जमा 3600 ग्रेड पे।

संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—13,900/—रुपये सख्या 15—क में
दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

5. चयन पद अथवा अचयन.—लागू नहीं
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, नियमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:

(क) अनिवार्य अर्हता (एं).—(1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविधालय से दस जमा दो या इसके समकक्ष चिकित्सा विज्ञान सहित हो।

(2) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा सम्मयक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फिजियोथैरेपिस्ट में डिप्लोमा रखता हो।

या

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा सम्यक वर्ष से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फिजियोथैरेपी में स्नातक (बी०पी०टी०) हो या इसके समतुल्य।

(ख) वांछनीय अर्हता(एँ).—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एँ) प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

आयु.—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.—लागू नहीं।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—**दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. **भर्ती की पद्धति.—**भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.—**लागू नहीं।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—**लागू नहीं।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—**जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—**किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—**सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि, यथा स्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15. (क). **संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—**इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में फिजियोथैरेपिस्ट को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं और केवल तभी उसकी संविदा का अवधि का नवीकरण विस्तार/किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना।—निदेशक आयुर्वेद, संविदा के आधार पर रिक्त पदों को भरने हेतु, सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन भर्ती और नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां।—संविदा आधार पर नियुक्त फिजियोथैरेपिस्ट को 13900/- रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 420/- रुपये (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी।—निदेशक, आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया।—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति।—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार।—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-‘ख’ के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें।—(क) संविदा पर नियुक्त फिजियोथैरेपिस्ट को 13900/- रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 420/- रुपये (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसूविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्युटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

- (ड) संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ.आर.एस.आर, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—“ख”

फिजियोथैरेपिस्ट (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, आयुर्वेद के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक, आयुर्वेद, (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त “प्रथम पक्षकार” को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने फिजियोथैरेपिस्ट के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निम्बन्धन व शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार फिजियोथैरेपिस्ट के रूप में से आरम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का विस्तार/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13,900/—रुपये प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवासित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त फिजियोथैरेपिस्ट एक मास की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त फिजियोथैरेपिस्ट को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त फिजियोथैरेपिस्ट कर्तव्य (ड्युटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक सथान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो, वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)।

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-Ka(3)-29/99 dated 6th April, 2012 as required under clause (3) of Article 309 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 6th April, 2012

No. Ayu-Ka(3)-29/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 to the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with HP Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Physiotherapist (Class-III-Non-Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure-‘A’ attached to this notification, namely:-

1. Short title & Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Physiotherapist (Class-III-Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2012 (2) These rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine & Homeopathy, Physiotherapist Class-III (Non Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1997 notified vide this Department's Notification No. Ayur-C-Ka (3)-2/97 dated 21-7-1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary (Ayurveda).

**Recruitment and Promotion Rules for the Post of Physiotherapist (Non- Gazetted) Class-III,
in the Department of Ayurveda , Himachal Pradesh**

1. **Name of Post.**—Physiotherapist
2. **Number of Post(s).**—01 (One)
3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted)
4. **Scale of Pay.**—(i) *Pay scale for regular incumbents.*—Pay Band ₹ 10300-34800+ ₹ 3600/-Grade Pay.

(ii) *Emoluments for contract employees.*—13900/-as per details given in column 15-A
5. **Whether “Selection” post or “Non-Selection” post.**—Not applicable.
6. **Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he /she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. **Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).**—
(a) *Essential Qualification(s).*—(i) (a) Should be 10+2 with Medical Science or its equivalent from a recognized University/ Board.

(b) Should also possess Diploma in Physiotherapy from Himachal Pradesh University or an institution duly recognized by the State Government.

OR

Bachelor of Physiotherapy (BPT) or its equivalent from Himachal Pradesh University or an Institution duly recognized by the State Government.

(b) *Desireable Qualification(s).*—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age.*—Not applicable.

Educational Qualification.—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post (s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by the service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition? .—Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) Concept.—(a) Under this policy the Physiotherapist, in the Department of Ayurveda, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extended on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) Post falls within the purview of H.P.S.S.B.—The Director of Ayurveda after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruitment agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) Contractual Emoluments.—The Physiotherapist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 13900/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 420/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) Appointment/Disciplinary Authority.—The Director of Ayurveda H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) Selection Process.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test, or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruitment agency i.e H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) Committee for selection of Contractual Appointments.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) Agreement.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules.

(VII) Terms and Conditions.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 13900/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 420/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority scales etc. will be given.

- (b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory
- (c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of Service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the services shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Physiotherapist and the Government of Himachal Pradesh through the Director Ayurveda

This agreement is made on this -----day of ----- in the year----- between Shri/Smt. -----R/o----- contract appointee (hereinafter called the First Party) AND the Governor, Himachal Pradesh through Director Ayurveda, Himachal Pradesh (here-in -after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Physiotherapist on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Physiotherapist for a period of one year commencing on -----day of -----and ending on the -----day of -----. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on ----- and information notice shall not be necessary.

- Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be .13900/- per month.
 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
 4. Contractual Physiotherapist will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Physiotherapist. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
 5. Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Physiotherapist will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
 6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from A Government/Registered Medical Practitioner. In case of Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Govt. Officer/Practitioner.
 8. Contract appointee shall be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duty at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY HAVE HEREIN TO SET THEIR
HANDS THE DAY, MONTH AND YEAR FIRST, ABOVE WRITTEN

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

01. -----

(Name and full address)

(Signature of first party).

02. -----

(Name and full address)

(Signature of first party).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. -----

(Name and full address)

(Signature of Second party)

2. -----

(Name and full Address)

(Signature of Second party)

ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 5/Teh/2011

पेशी : 4-5-2012

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री राम दिता पुत्र श्री बरदु राम, महाल कुदैल वुहली, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

श्री कमल कुमार पुत्र, अनिता देवी पुत्री, श्रीमती मनसा देवी विधवा स्व0 श्री केशो मल पुत्र श्री राम दिता, निवासीयान महाल कुदैल वुहली, मौजा व तहसील बैजनाथ प्रतिवादीगण।

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री राम दिता ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि खाता नं0 148, 146, 145, 41,40,147 वाक्या महाल कुदैल वुहली में शम्भू मल पुत्र श्री राम दिता है जो कि गलत है। अतः उसने परिवार रजिस्टर व पंचायत रिकार्ड के मुताबिक राजस्व विभाग वाक्या महाल कुदैल वुहली में शम्भू मल पुत्र श्री राम दिता के बजाए सोहन सिंह पुत्र श्री राम दिता दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-5-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर शम्भूमल पुत्र श्री राम दिता के बजाए सोहन सिंह पुत्र श्री राम दिता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर व एतराज समायत न होगा।

आज दिनांक 7-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

शमशेर सिंह,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।